कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक : स्था0/W-32/2020/ 3937 दिनांक : 14.11.2025

-: आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक–21/विविध/2025 दिनांक 06.11.2025 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में गुरूवार दिनांक 25.12.2025 से बुधवार दिनांक 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है। अतः इस न्यायक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायाधीश व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बन्द रहेंगे। निम्नांकित न्यायालयों जिनकी शीतकालीन अवकाश की अवधि (राजकीय अवकाशों को छोडकर) में ड्यूटी लगाई गई है, के पीठासीन अधिकारी व कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग उक्त अवधि में नहीं करेगें–

1. जिला एवं सेशन न्यायालय तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों के कार्य हेतु–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में इनके न्यायालय का आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य निम्नांकित पीठासीन अधिकारीगण द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि अनुसार किया जायेगा–

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
1.	श्री कन्हैयालाल पारीक, ए.सी.जे.एम. क्रम– 06, जयपुर महानगर–द्वितीय	26 व 29 दिसम्बर, 2025
2.	श्री पंकज कुमार काबरा, ए.सी.जे.एम. क्रम–03, जयपुर महानगर–द्वितीय	30 व 31 दिसम्बर, 2025

2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य हेतु–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार निम्नांकित न्यायालय उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य के लिए खुले रहेगे। इनके अतिरिक्त अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश के कारण बन्द रहेगे। निम्नांकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण/अवधि अनुसार सभी अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य किया जावेगा –

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम	किये जाने वाले कार्य का विवरण	न्यायालय खुले रहने की अवधि
1.	सुश्री अंजलि जानू, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 06, जयपुर महानगर–द्वितीय	पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु	26 व 29 दिसम्बर, 2025
2.	सुश्री आयुषी देवपुरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 03, जयपुर महानगर–द्वितीय	पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु	30 व 31 दिसम्बर, 2025
3.	सुश्री नेहा चौहान, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम 13, जयपुर महानगर–II	पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु	26 व 29 दिसम्बर, 2025
4.	सुश्री रश्मि दाधीच, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 09, जयपुर महानगर–II	पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु	30 व 31 दिसम्बर, 2025
5.	श्री ललित मीणा, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम 11, जयपुर महानगर–II	मोटर वाहन अधिनियम के पुलिस यातायात/आरटीओ से संबंधित प्रकरणों के कार्य हेतु	26 व 29 दिसम्बर, 2025

—sd—
DISTRICT & SESSIONS JUDGE
JAIPUR METROPOLITAN-II

6.	श्री अभिषेक त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 04, जयपुर महानगर–द्वितीय	मोटर वाहन अधिनियम के पुलिस यातायात/आरटीओ से संबंधित प्रकरणों के कार्य हेतु	30 व 31 दिसम्बर, 2025

3. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखाओं का आवश्यक एवं दैनिक कार्य दिनांक–26.12.2025 व 29.12.2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–06, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा तथा दिनांक–30.12.2025 व 31.12.2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–03, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा देखा जायेगा।

4. उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आवश्यक लेखा संबंधी कार्यो के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है–

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम	कार्य अवधि
1.	श्री कन्हैयालाल पारीक, ए.सी.जे.एम. क्रम– 06, जयपुर महानगर–द्वितीय	26.12.2025 व 29.12.2025
2.	श्री पंकज कुमार काबरा, ए.सी.जे.एम. क्रम–03, जयपुर महानगर–द्वितीय	30.12.2025 व 31.12.2025

5. जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्नांकित न्यायिक अधिकारी की दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाशों की अवधि (राजकीय अवकाशों को छोडकर) में **प्रोटोकॉल हेतु** ड्यूटी लगाई जाती है परन्तु आवश्यकता होने पर न्यायिक कार्य करने हेतु भी ड्यूटी लगाई जा सकती है–

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
1.	श्री गुरजोत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13, जयपुर महानगर–II	25 से 31 दिसम्बर, 2025 (राजकीय अवकाशों सहित)

6. जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण की दिनांक 25.12.2025 से 31.12.2025 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि (राजकीय अवकाशों को छोडकर) में आवश्यकता होने पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। अतः निम्न न्यायिक अधिकारीगण को **रिजर्व ड्यूटी** हेतु रखा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में मुख्यालय पर ही उपस्थित रहे–

जिला एवं सेशन न्यायालय तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों के कार्य के लिए रिजर्व ड्यूटी हेतु–

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम
1.	श्रीमती अनुभूति मिश्रा, ए.सी.जे.एम. कम 07, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 26.12.2025 व 29.12.2025 हेतु)
2.	श्रीमती प्रिया यादव, ए.सी.जे.एम. कम 05, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 30.12.2025 व 31.12.2025 हेतु)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों के कार्य के लिए रिजर्व ड्यूटी हेतु–

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम	कार्य का विवरण
1.	तेजकिरण कौर चावला, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम–05, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 26.12.2025 व 29.12.2025 हेतु)	पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु

Sd/-
PRINCIPAL SESSIONS JUDGE
JAIPUR METROPOLITAN-II

2.	विजय कुमार, अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–05, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 30.12.2025 व 31.12.2025 हेतु)	पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु
3.	मोहित आनन्द, अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 26.12.2025 व 29.12.2025 हेतु)	पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु
4.	रिद्म अनेजा, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट) क्रम–09, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 30.12.2025 व 31.12.2025 हेतु)	पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम के अन्तर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों की सीमाओं में उत्पन्न आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य हेतु
5.	प्रियंका मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (पश्चिम) जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 26.12.2025 व 29.12.2025 हेतु)	मोटर वाहन अधिनियम के पुलिस यातायात/आरटीओ से संबंधित प्रकरणों के कार्य हेतु
6.	लीमा यादव, अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–07, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 30.12.2025 व 31.12.2025 हेतु)	मोटर वाहन अधिनियम के पुलिस यातायात/आरटीओ से संबंधित प्रकरणों के कार्य हेतु

नोट :–

(1) उक्त आदेश के क्रम 1 व 2 की तालिकाओं में अंकित पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने की स्थिति में रिजर्व ड्यूटी हेतु लगाये गये पीठासीन अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने वाले संबंधित पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में बैठकर कार्य संपादित किया जावेगा तथा संबंधित मूल न्यायालय का स्टाफ ही कार्य हेतु उपस्थित रहेगा।

(2) उक्त आदेश के क्रम 2 की तालिका में क्रम संख्या 1 से 6 पर अंकित पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक दीवानी व फौजदारी कार्य के साथ ही, संबंधित आरक्षी केन्द्रों से संबंधित 183 बी.एन.एस.एस. के बयान, मृत्युकालिक कथन व 196 बी.एन.एस.एस. के तहत जांच से संबंधित कार्य भी संपादित किया जावेगा।

प्रोटोकॉल कार्य के लिए रिजर्व ड्यूटी हेतु–

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम
1.	रविन्द्र कुमार, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम–08, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 25.12.2025 से 28.12.2025 हेतु) (राजकीय अवकाशों सहित)
2.	सुरेश कुमार सेन, विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई एक्ट) क्रम–06, जयपुर महानगर–द्वितीय (दिनांक 29.12.2025 से 31.12.2025 हेतु) (राजकीय अवकाशों सहित)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक : स्था0/W-32/2020/3938 दिनांक : 14.11.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखा/रिकॉर्ड शाखा, जिला न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय
3. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में समस्त थानाधिकारीगण को सूचित करावें।
5. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जिला न्यायालय परिसर, जयपुर
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर
7. अध्यक्ष/सचिव, दी बार एसोसियेशन, जयपुर
8. अध्यक्ष/सचिव, दी बार एसोसियेशन, चौमू/आमेर/बगरू/वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर
9. प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुंसरिम/वरिष्ठ निजी सहायक/कोर्ट मैनेजर/रीडर ग्रेड–I/वरिष्ठ लिपिक /नाजिर/ फौजदारी लिपिक/दीवानी लिपिक/इजराय लिपिक, जिला न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय
10. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय
11. सिस्टम ऑफिसर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
12. आदेश/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

14.11.2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय